न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 8/2021/दावा 136 एलआरएक्ट

1. केशरसिंह पुत्र कुम्भाराम उम्र 38 वर्श जाति जाट निवासी राजपुरा (नौसाल) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।

– वादी

ब ना म

2. राज्य सरकार जरिये –तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

–प्रतिवादी

## दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री नन्दलाल धायल, रतनलाल पलसानियां वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक – 25.02.2021

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम राजपुरा पटवार हल्का डॉसरोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.) की तन में वादी एवं अन्य सह–खातेदार की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि हाल ख.नं. 416, 417 किता 2 कुल रकबा 2.06 है., ख.नं. 288, 289, 290 किता 3 कुल रकबा 1.47 है. एवं ख.नं. 420, 423, 425, 426 किता 4 कुल रकबा 4.06 है. अवस्थित है। जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से पूर्णतया प्रमाणित है। उपरोक्त कृषि आराजियात के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कशोराम पुत्र कुम्भाराम दर्ज है जबकि वादी के समस्त लोक दस्तावेजात (आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग का मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईलेंस, पिता का वारिस प्रमाण पत्र आदि) में वादी का नाम केशरसिंह पुत्र कुम्भाराम दर्ज है तथा इसी अनुरुप ही राजस्व रिकार्ड में भी वादी का नाम दर्ज होना चाहिये था किन्तु वादाधीन कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत रुप से वादी का नाम केशाराम पुत्र कुम्भाराम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

कर दिया गया जिस वजह से वादी को राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ एवं कम ब्याज पर काश्त के लिए बैंक से प्राप्त होने वाले किसान कार्ड के रुप में कृषि ऋण प्राप्त करने में वादी को कठिनाई आती है तथा न ही वादी अपने हक हिस्से की भूमियों में फसल खराब होने से राज्य सरकार से मिलने वाली मुआवजा राशि प्राप्त कर पाता है इसलिए वादी वादाधीन भूमि में अपना नाम अपने लोक दस्तावेज के अनुसार एकरुपता के लिए केशरसिंह पुत्र कुम्भाराम दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी प्रतिवादी से वादाधीन भूमि में अपना नाम राजस्व रिकार्ड में केशरसिंह पुत्र कुम्भाराम दर्ज किये जाने का कई बार निवेदन कर चुका है किन्तु प्रतिवादी द्वारा नाम संशोधन नहीं किये जाने पर वादी को माननीय न्यायालय में वाद संस्थित कर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में केशाराम पुत्र कुम्भाराम के स्थान पर केशरसिंह पुत्र कुम्भाराम उदघोशित करवाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधित करवाया जाना आवश्यक हो जाने से वाद बाबत उदघोशणा एव रिकार्ड संशोधन का संस्थित करना लाजिम हुआ है। वाद कारण वादी द्वारा वादाधीन भूमियां में केशाराम पुत्र कुम्भाराम के स्थान पर अपना वास्तविक एवं लोक दस्तावेज के अनुसार सही नाम केशरसिंह पुत्र कुम्भाराम दर्ज करने का प्रतिवादी से आग्रह करने पर प्रतिवादी द्वारा नाम संशोधित करने से मना करने के कारण उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रतिक्षण निरन्तर रुप से चालू है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 416, 417 किता 2 कुल रकबा 2.06 है., ख.नं. 288, 289, 290 किता 3 कुल रकबा 1.47 है. एवं ख.नं. 420, 423, 425, 426 किता 4 कुल रकबा 4.06 है0 वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का डांसरोली तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम केशाराम पुत्र कुम्भाराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम केशरसिंह पुत्र

कुम्भाराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वादी ने स्वयं तथा अन्य सहखातेदार गणपतलाल पुत्र कुम्भाराम के बयान कलमबद्ध किये गये तथा निवेदन किया कि वादी का सही नाम डालूराम पुत्र पदमाराम किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम केशाराम पुत्र कुम्भाराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम केशरसिंह पुत्र कुम्भाराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। वादी व सहखातेदार के लिए गये कलमबद्ध बयानों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सहखातेदार के बयान एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 416, 417 किता 2 कुल रकबा 2.06 है., ख.नं. 288, 289, 290 किता 3 कुल रकबा 1.47 है. एवं ख.नं. 420, 423, 425, 426 किता 4 कुल रकबा 4.06 है0 वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का डांसरोली तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम केशाराम पुत्र कुम्भाराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम केशरसिह पुत्र कुम्भाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

# अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

( Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

केशरसिह बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एव रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 8 / दावा सन् 2021 निर्णय दिनांक 25.02.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी श्री नन्दलाल धायल, रतनलाल पलसानियां मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा **भूमि खसरा 416, 417 किता 2 कुल रकबा 2.06 है., ख.नं. 288, 289, 290 किता 3 कुल रकबा 1.47 है. एवं ख.नं. 420, 423, 425, 426 किता 4 कुल रकबा 4.06 है0 वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का डांसरोली तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादी का नाम केशाराम पुत्र कुम्भाराम के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर केशरसिह पुत्र कुम्भाराम संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज ............ मुबलिग .. ............ बाबत ............ खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .......... .. को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.02.2021 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा

मोहर

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुद्दायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा ... | 6 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 | स्टाम्प अर्जी ... | | |
| स्टाम्प वजह सबूत ... | -- | -- | मेहनताना वकील पर ... | | |
| मेहनताना वकील | -- | -- | खर्चा गवाहान ... | | |
| खर्चा गवाहान ... | -- | -- | फीस कमिश्नर ... | | |
| फीस कमिश्नर ... | -- | -- | बाबत इजराय हुक्मनामा ... | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा ... | -- | -- | मुतफरिक ... | 0 | 00 |
| मुतफरिक ... | 8 | 00 | | 0 | 00 |
| मीजान | 15 | 00 | मीजान | 1 | 00 |

नोट   इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ